न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

वाद संं0 : 31/2025

वादीगण :
1. श्यामलाल पुत्र मांगेराम जाति धानक निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. लालचन्द पुत्र मांगेराम जाति धानक निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. मांगेराम पुत्र नीकूराम जाति धानक निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री मांगेराम जाति धानक निवासी रासलाना तहसील भादरा हाल निवासी गांव शहीदांवाली तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री दीवान सिंह : **वादी**

वकील श्री विकास आर्य : **प्रतिवादी सं0 1 तथा 2**

निर्णय **दिनांक :** 28.05.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 216/208 के ख0सं0 531/108, 533/26 कुल खसरा 2 की 5.3170 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के दादा नीकूराम की खातेदारी हुआ करती थी जो नीकूराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 तथा 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है।

अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया। साक्ष्य वादी में श्यामलाल पुत्र मांगेराम जाति धानक निवासी रासलाना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम रासलाना खाता संख्या 216/208 सम्वत 2075–78 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रासलाना प्रदर्श 2, जमाबंदी ग्राम रासलाना खाता .../100 सम्वत 2055 प्रदर्श 3 चित्रप्रति आधार कार्ड श्यामलाल प्रदर्श 4 ए तथा जमाबंदी मौजा रासलाना संवत 2075–78 खाता संख्या 216/208 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:33:13 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम रासलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 216/208 के ख0सं0 531/108, 533/26 कुल खसरा 2 की 5.3170 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल अकेले की बजाय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 216/208 के ख0सं0 531/108, 533/26 कुल खसरा 2 की 5.3170 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम अकेले की बजाय वादी संख्या 1 श्यामलाल, वादी संख्या 2 लालचन्द तथा प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:33:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

वाद सं0 : 31/2023

वादी :
1. श्यामलाल पुत्र मांगेराम जाति धानक निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. लालचन्द पुत्र मांगेराम जाति धानक निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. मांगेराम पुत्र नीकूराम जाति धानक निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री मांगेराम जाति धानक निवासी रासलाना तहसील भादरा हाल निवासी गांव ढाणीदावाली तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
4.

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दीवान सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विकास आर्य की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 216/208 के ख0सं0 531/108, 533/26 कुल खसरा 2 की 5.3170 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम अकेले की बजाय वादी संख्या 1 श्यामलाल, वादी संख्या 2 लालचन्द तथा प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:33:13 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक भादरा

Scanned with CamScanner